न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—245/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/245)

1. श्री सुगना राम पुत्र श्री धूला(पुत्र श्री छोटू) मृतक जरिए वारिसान
   1/1 भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री सुगनाराम
   1/2 धारू पुत्र स्व0 श्री सुगनाराम
   1/3 गीता पुत्री स्व0 श्री सुगनाराम
2. मदनलाल पुत्र श्री धूला
3. रामपाल पुत्र श्री धूला

   समस्त जाति रेगर निवासी जसवंतपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री सूजा पुत्र स्व0 श्री छोटू मृतक जरिए वारिसान
   1/1 हरजी पुत्र स्व0 श्री सूजा मृतक जरिए वारिसान
   1/1/1 श्रीमती पानी पत्नी स्व0 श्री हरजी
   1/1/2 मुल्तान पुत्र स्व0 श्री हरजी
   1/1/3 जगदीश पुत्र स्व0 श्री हरजी
   1/1/4 कैलाश पुत्र स्व0 श्री हरजी
   1/1/5 शिवराज पुत्र स्व0 श्री हरजी
   1/1/6 इन्द्रा बाई पुत्री स्व0 श्री हरजी
   1/1/7 श्रवण पुत्र स्व0 श्री हरजी
2. मोहन पुत्र स्व0 श्री छोटू मृतक जरिए वारिसान
   2/1 गणपत पुत्र मोहन मृतक जरिए वारिसान
   2/1/1 ढगलू पुत्र स्व0 श्री गणपत
   2/1/2 शिया पुत्री स्व0 श्री गणपत
   2/2 पाबू पुत्र स्व0 श्री मोहन मृतक जरिए वारिसान
   2/2/1 रमेश पुत्र स्व0 श्री पाबू
   2/2/2 ओम प्रकाश पुत्र स्व0 श्री पाबू
   2/2/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री पाबू
   2/2/4 बबलू पुत्र स्व0 श्री पाबू
   2/2/5 शोरती पत्नी स्व0 श्री पाबू
3. मोती पुत्र स्व0 श्री हरजी
4. हीरा पुत्र स्व0 श्री हरजी
5. हजारी पुत्र आसु
6. मेघा पुत्र आसु
7. कमला पत्नी सुखदेव
8. खींया पुत्र प्रभू मृतक जरिए वारिसान
   8/1 चेतन पुत्र स्व0 श्री खीया
   8/2 भीमा पुत्र स्व0 श्री खीया
   8/3 सुशीला पुत्री स्व0 श्री खीया
   8/4 पूजा पुत्री स्व0 श्री खीया
9. उगमा पुत्र प्रभू
10. प्रहलाद पत्नी स्व0 श्री भंवरू
11. सायरी पत्नी स्व0 श्री भंवरू
12. सीता पत्नी स्व0 श्री नीम्बा
13. कचरा पुत्र लादू मृतक जरिए वारिसान

13/1 रामेश्वरी पत्नी स्व0 श्री कचरा
14. कमली पुत्री प्रभू
15. पताशी पुत्री प्रभू
16. मनोहरी पुत्री नीम्बा
17. संतोष पुत्री नीम्बा
समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम जसवंतपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
18. नेमीचंद पुत्र माधुराम जाति ढोली निवासी गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर (नाम तर्क)
18/1 आकाश पुत्र स्व0 श्री नेमीचंद जाति ढोली
18/2 महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नेमीचंद जाति ढोली
18/3 मनीष पुत्र स्व0 श्री नेमीचंद जाति ढोली
18/4 गुनगुन पुत्री स्व0 श्री नेमीचंद जाति ढोली
समस्त निवासीगण ग्राम गोविन्दगढ तहसील व जिला अजमेर।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीदार पीसांगन

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 23/2012

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन0, गुमान कुमावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, महेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3, 4
3. श्री सी0पी0 शर्मा 18/1 से 18/4
4. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 19
5. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 से 17 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—04.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 23/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस प्रस्तुत किया। जिसके साथ संलग्न एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जरिए सम्मन तलब किया जिस पर कुछ रेस्पोडेंटस जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा तथा कुछ रेस्पोडेंट की तलबी हेतु प्रकरण विचाराधीन थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को कैम्प कोर्ट जसवंतपुरा में दिनांक 23.5.2018 को खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 23/2012 में पारित आदेश

दिनांक 23.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 5 से 17 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते जवाब एवं तलबी में विचाराधीन था जिसमें पूर्व में अन्य अधिवक्ता नियुक्त थे जिनके द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही नहीं की जा रही थी जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलांट्स ने नवीन अधिवक्ता श्री शिवचंद शर्मा को नियुक्त किया जिनके द्वारा उक्त केम्प में दिांक 23.5.2018 को ही वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में पूर्व में चल रही कार्यवाही की अधिवक्ता कोई जानकारी नहीं थी अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि नवीन अधिवक्ता को प्रकरण में कार्यवाही किए जाने हेतु न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंटस को लाभ प्रदान करने की नियत से अपूर्ण प्रकरण को अपने आदेश दिनांक 23.5.2018 से खारिज फरमा दिया। अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसको रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 4 बेचान करने पर आमादा है। जिसमें यदि रेस्पोडेंट सफल हो गया तो अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद एंव अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ही सारहीन हो जाएगा जिससे अपीलांट्स को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर खारिज कर रेस्पोडेंट्स को विवादित आराजीयात बाबत बेचान किए जाने एवं अपीलांट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी किए जाने जैसी खुली छूट प्रदान कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण जवाब एवं तलबी में विचाराधीन था जो केम्प कोर्ट में कतई निर्णित करने योग्य नहीं था ना ही अधीनस्थ न्यायालय उक्त कैम्प में सभी पक्षकारान मौजूद थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट से संबंधित नियमों को दरकिनार कर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट्स की ओर से किसी प्रकार की जानबूझ कर लापरवाही नहीं की है बल्कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण अपीलांट्स ने नवीन अधिवक्ता नियुक्त किया था इस प्रकार अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही की सजा अपीलांट्स को नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है जो गैर कानूनी रूप से दौराने बंदोबस्त वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते वक्त रेस्पोडेटस के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश, निर्णय व डिक्री के अविधिक रूप से बंदोबस्त के दौरान रिकार्ड में रेस्पोडेंट्स के पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त त्रुटिपूर्ण इंद्राज की आड में रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अविधिक रूप से अन्यत्र बेचान करने पर आमादा है जिसका कि उन्हे कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 23/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक को सम्मन तलवाना पेश करने के लिए निरंतर सुचित किया जा रहा था लेकिन उनके द्वारा उसकी पालना नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त विवादित आराजीयात ग्राम जसंवतपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया गया।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमियां पुश्तैनी भूमियां है तथा सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट के पूर्वज का नाम भी विवादित भूमियों में सहखातेदार के रूप में दर्ज था जो सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा हटाया जाकर भूमियों को रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कर दिया गया। दिनांक 22.02.2012 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी दिनांक 23.02.2018 को अपीलांट की ओर से शिवचरण शर्मा अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था तथा रेस्पोडेंट की ओर से टीवराम शर्मा द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 4 के अभिभाषक के निवेदन पर तलबी बाबत अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर तय नहीं कर न्यायालय आदेश की अवहेलना मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। जो कि न्यायसंगत नहीं है, चूंकि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बाद रेस्पोडेंट के जवाब एवं बहस के बाद ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंटस के विरूद्ध बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि यदि रेस्पोडेंट्स को उक्त आराजीयात बाबत पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता बढेगी इसलिए उक्त आराजीयात को मूल वाद के निस्तारण

तक संरक्षित किया जाना न्यायालय का दायित्व है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त आराजीयात जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य विवादित आराजीयात है। जिसमें मूल वाद के पश्चात हक व अधिकार तय होने है। यदि उक्त विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो अपीलांट के हितों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा चूंकि यदि उक्त आराजीयात का बेचान, हस्तांतरण या ऋण लेकर रहन किया जाता है तो अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेंटस की बजाय अपीलांट को भारी तुलनात्मक असुविधा होगी। रेस्पोडेंट्स को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित होगी, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जब कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह बखूबी साबित किया गया है कि व्यादेश नहीं मिलने से वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 23/2012 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजीयात के राजस्व एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर